इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल 2016—चैत्र 22, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ 7-19-2014-उन्तीस-1.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग) के एस. ओ. 681 (ई) तथा एस. ओ. 682(ई) दोनों दिनांक 30 नवम्बर 1974 और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी. एस. आर. 800 दिनांक 9 जून 1978 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

(1) विद्यमान अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची—दो
[कण्डिका 8 (1) देखिए]

(अ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत सोसाइटी :—

(1) उपभोक्ता सोसाइटी;

(2) विपणन सोसाइटी;

(3) उत्पादक सोसाइटी;

(4) संसाधन सोसाइटी;

(5) बहुप्रयोजन सोसाइटी.

(ब) महिला स्व-सहायता समूह

(स) संयुक्त वन प्रबंधन समिति.''.

2. कण्डिका 8 में, उप कण्डिका (11) के पश्चात्, निम्न उप कण्डिकाएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(12) उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली उपभोक्ता सोसाइटी के लिए न्यूनतम 200 पात्र परिवारों का उक्त समिति में सदस्य होना बंधनकारी होगा :

परंतु पूर्व से उचित मूल्य दुकान संचालित करने वाली सोसाइटियों के लिए छह माह के भीतर न्यूनतम 200 पात्र परिवारों के कम से कम एक सदस्य को सोसाइटी का सदस्य नामांकित करना बंधनकारी होगा :

परंतु यह और कि उपभोक्ता सोसाइटियों के प्रबंधन में पात्र परिवारों की भूमिका सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित मूल्य दुकान का संचालन करने वाली सोसाइटियों के लिए यह आज्ञापक होगा कि उचित मूल्य दुकान के आवंटन से एक वर्ष के भीतर, सोसाइटी के निर्वाचित संचालकों का दो तिहाई, पात्र परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाए.

(13) उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु आवेदन करने वाली विपणन सोसाइटी को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का सदस्य होना अनिवार्य होगा.

(14) उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली उत्पादक सोसाइटी का वन परिक्षेत्र में कार्य करने हेतु पंजीकृत एवं कार्यशील होना अनिवार्य होगा.

(15) उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली बहुप्रयोजन सहकारी सोसाइटी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) में उल्लिखित उद्देश्यों में से कम से कम दो उद्देश्यों के लिए पंजीकृत तथा कार्यशील होना अनिवार्य होगा जिसमें एक उपभोक्ता सोसाइटी अथवा संसाधन सोसाइटी का होना अनिवार्य होगा.

(16) उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी को आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ 7-19-2014-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2016

No. F-7-19-2014-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in pursuance of S. O. 681 (E) and S. O. 682(E) both dated 30th November 1974 of Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) and GSR 800 dated 9th June 1978 of Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), the State Government, hereby, makes the further amendments in the Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely :—

AMENDMENTS

In the said order,—

1. For existing Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-II
[Clause 8(1)]

(A) Societies classified under sub-section (1) of Section 10 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) :—

1. Consumer Society
2. Marketing Society
3. Producer Society
4. Resource Society
5. Multipurpose Society

(B) Women Self-Help Groups

(C) Joint Forest Management Committees".

2. In clause 8, after sub-clause (11), following sub-clauses shall be added, namely :—

"(12) It shall be binding for the consumer societies applying for the allotment of the fair price shops to have minimum 200 eligible households as members of the said societies :

Provided that it shall be binding for societies already running the shops to enroll at least one member from a minimum of 200 eligible household as members of the said societies within 6 months :

Provided further that, in order to ensure the role of eligible households in the management of consumer societies, it shall be mandatory for the consumer societies running a fair price shop to reserve two third of the elected Directors of the society for the eleigible household within one year from the allotment of the fair price shop.

(13) A Marketing Society applying for allotment of a fair price shop must be a member of the Madhya Prdesh State Marketing Federation.

(14) A Producer Society applying for allotment of a fair price shop must be registered and operational in forest area.

(15) A Multipurpose Co-operative Society applying for allotment of a fair price shop must be registered and operational for at least two objectives among the objectives mentioned in Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and one of them must be that of Consumer Society or Resource Society.

(16) A Society applying for allotment of a fair price shop must be registered at least one year before the date of application.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.